न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

–पत्र नम्बर 18/2025
– पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

तेंद्र कुमार पुत्र श्री टेकचंद जाति अग्रवाल निवासी पंजाबी मोहल्ला हनुमानगढ़ टाउन तह० व ला हनुमानगढ़,(राज०)
पक कुमार पुत्र श्री मनोहरलाल जाति अग्रवाल निवासी पंजाबी मोहल्ला हनुमानगढ़ टाउन ह० व जिला हनुमानगढ़,(राज०) प्रार्थीगण:

बनाम

दर्शनसिंह पुत्र श्यामसिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तह०–संगरिया जिला,हनुमानगढ़,(राज०)
सरजीतसिंह पुत्र श्यामसिंह जाति जटसिख निवासी लीलावाली तह०–संगरिया जिला,हनुमानगढ़,(राज०)
तहसीलदार (राजस्व) संगरिया, तह०– संगरिया, जिला हनुमानगढ़, (राज०) अप्रार्थीगण

उपस्थित :– श्री सुनील कुमार टाण्डी वकील प्रार्थीगण
श्री प्रदीप जाखड वकील अप्रार्थी संख्या 2

–: आदेश :– दिनांक 29.8.2025

उक्त अनुवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की तरफ से जरिए अधिवक्ता निम्न तथ्यों के आधार पर श किया गया कि प्रार्थीगण के नाम चक नं०– 03 एल0एल0डब्ल्यू0 के खाता सं०–31/82 जमाबन्दी सम्पादन 2072–2075 में 2.024 हैक्ट. ब.हिब. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसमें पत्थर नं०– 148/218 मुरब्बा नं०–38 के किला नं०– 4 ता 6/0.759 हैक्ट व पत्थर नं०– 149/218 मुरब्बा नं०–37 के 1, 7 ता 10/1.265 हैक्ट. और कब्जा काश्त में है। उक्त कृषि भूमि की जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के नाम से चक नं०– 03 एल0एल0डब्ल्यू0 के खाता सं०– 40/28 जमाबन्दी सम्बत 2072–2075 में 2.277 हैक्ट. ब.हिब. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पत्थर नं०–149/218 मुरब्बा नं०–37 के किला नं०–6/1,6/2,15/1,15/2,16/1,16/2,17,25/1 25/2, के पत्थर नं०–150/218, मुरब्बा नं०–36 के किला नं०– 10,11,20,21, कब्जा काश्त में है, उक्त खाता की जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना–पत्र है। प्रार्थीगण की कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक नं०– 03 एल0एल0डब्ल्यू0 के खाता सं०–31/92 जमाबन्दी सम्बत 2072–2075 में 2.024 हैक्ट. कृषि भूमि में जिसमें पत्थर नं०– 148/218 मुरब्बा नं०–38 के किला नं०– 4 ता 6/0.759 हैक्ट व पत्थर नं०– 149/218 मुरब्बा नं०–37 के किला नं०– 1, 7 ता 10/1.265 हैक्ट में आने के लिए रास्ता नहीं है। इस लिए प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आंने हेतु पत्थर नं०– 149/218 मुरब्बा नं०–37 के किला नं०– 6/1 के उत्तर दिशा में किला लाईन पर पूर्व से पश्चिम में एक 0.025 है0 चौड़ा दो बिस्वा रास्ता प्रार्थीगण स्वीकृत करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण इस रास्ता की भूमि की एवज में भूमि या बाजार मूल्य जो भी उचित समझे अप्रार्थीगण को देने को तैयार हैं। प्रार्थीगण के खेत में चक नं०– 03 एल0एल0डब्ल्यू0 के खाता सं०–31/82 के पत्थर नं०– 148/218 मुरब्बा नं०–38 के

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

...ा नं०– 4 ता 6/0.759 हैक्ट व पत्थर नं०– 149/218 मुरब्बा नं०–37 के किला नं०– 1, 7 ... 10/1.265 हैक्ट में आने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। इस लिए प्रार्थीगण को आपनी कृषि ...मे में कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। यदि ...र्थीगण को आपनी कृषि भूमि आने जाने के लिए उक्त रास्ता स्वीकृत नहीं किया गया तो प्रार्थीगण ... ना पुरा होने वाला नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप में नहीं की जा सकती है। ...सलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीया के कब्जा ...ाश्त में चक नं०– 03 एल0एल0डब्ल्यू0 के खाता सं०–31/82 के पत्थर नं०– 148/218 मुरब्बा ...०–38 के किला नं०– 4 ता 6/0.759 हैक्ट व पत्थर नं०– 149/218 मुरब्बा नं०–37 के किला ...०– 1, 7 ता 10/1.265 हैक्ट में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। इस लिए प्रार्थीया चक नं०– ...3 एल0एल0डब्ल्यू0 के पत्थर नं०– 149/218 मुरब्बा नं०–37 के किला नं०– 6/1 के उत्तर दिशा ...े किला लाईन पर पूर्व से पश्चिम में किला में 0.025 है0 चौड़ा दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाने ...ी अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कई बार निवेदन किया कि उक्त रास्ता स्वीकृत कर देवें तो अप्रार्थीगण पहले टाल मटोल करता रहा किन्तु कल रास्ता स्वीकृत करने से ...स्पष्ट इंकार कर दिया। बस यही प्रार्थना पत्र का कारण है। अप्रार्थी सं०–3 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार के :प में संयोजित किया गया है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है।

लिहाजा प्रार्थना–पत्र अ०धा०–251 आर०टी०ए० के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि चक नं०– 03 एल0एल0डब्ल्यू0 के पत्थर नं०– 149/218 मुरब्बा नं०–37 के किला नं०– 6/1 के उत्तर दिशा में किला लाईन पर पूर्व से पश्चिम में किला में 0.025 है0 चौड़ा दो बिस्वा रास्ता कृषि भूमि में आने जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना उपस्थित नही। अप्रार्थी संख्या 2 जरिये अधिवक्ता प्रार्थीगण को चक 3 एल.एल.डब्ल्यू. के प.नं. 149/218 मुर. 37 किला नं. 6/1 के उत्तर दिशा में किला लाईन पर पूर्व से पश्चिम 11.214 फुट चौड़ा व 165 फुट लंबा व अप्रार्थी सं. 2 को प.नं. 149/218 मुर. 37 किला नं. 7 में 10 फुट चौड़ा व 165 फुट लंबा व किला नं. 8 में 10 फुट चौड़ा व 20 फुट लंबा इस प्रकार कुल 185 गुणा 10 यानि 1850 वर्गफुट रास्ता किला नं. 3 व 4 के साथ चिपता हुआ किला लाईन पर दिया जाना तय हुआ है। जिसकी एवज में प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं. 2 प.नं. 149/218 मु.नं. 37 किला नं. 6 में 11. 214 गुणा 165 यानि 1850.31 वर्गफुट उत्तर दिशा में किला लाईन पर पूर्व से पश्चिम 11.214 फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बा कृषि भूमि देना तय किया जाकर अपना राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया ने अपने पत्र क्रमाक राजस्व/2024/1169 दिनांक 09. 04.2025 से मौका रिपोर्ट मय चित्र प्रति रिपोर्ट पटवारी हल्का व चित्र प्रति नजरी नक्शा प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं सीलदार संगरिया से प्राप्त रिपोर्ट का भली-भांति अवलोकन किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी धिनियम 1955 की धारा-251 (A) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार या जाकर यह आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है:-

क्रियान्विति आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक जीनामा चक 3 एल.एल.डब्ल्यू. के प.नं. 149/218 मुर. 37 किला नं. 6/1 के उत्तर दिशा में किला लाईन पर पूर्व से पश्चिम 11.214 फुट चौड़ा व 165 फुट लंबा व अप्रार्थी सं. 2 को प.नं. 149/218 मुर. 37 किला नं. 7 में 10 फुट चौड़ा व 165 फुट लंबा व किला नं. 8 में 10 फुट चौड़ा व 20 फुट लंबा इस प्रकार कुल 185 गुणा 10 यानि 1850 वर्गफुट रास्ता किला नं. 3 व 4 के साथ चिपता हुआ किला लाईन पर रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 2 के मध्य हुआ राजीनामा निर्णय के अभिन्न अंग रहेगें। तहसीलदार संगरिया उक्त मंजूरशुद्वा रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29-8-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया